झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक, 2024

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

"झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में)(निरसन)विधेयक 2024"

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।
2. झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) 2011 का(निरसन)
3. व्यावृति

"झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक 2024"

"झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2011" का निरसन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** :– (1) यह अधिनियम "झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में)(निरसन)अधिनियम, 2024" कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य लागू होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) 2011 का निरसन** :– झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2011 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

3. **व्यावृति** :– ऐसे निरसन के होते हुए भी झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवाकी गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत थी।

उद्देश्य एवं हेतु

भारत सरकार द्वारा गटित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) दिनांक–21.02.2019 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागु होने के पश्चात झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011 की प्रासंगिकता अब नहीं रह गई है।

इस स्थिति में झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011 को निरसित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

भार–साधक सदस्य

झा०रा०मु० राँची (विधि) 10 —200—15–02–2024 ।